<u> संचिका संख्या : 3133/4/23/2020</u>

<u> दिनांक : .16.05.2022</u>

प्रस्तुत संचिका एक सामाजिक कार्यकर्त्ता से प्राप्त आवेदन के आधार पर संधारित किया गया है जिसके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि मन्टु नगर स्थित बालिका गृह में संवासिन रह रही थी जो 9 माह के गर्भवती थी। 02 जून 2020 करे प्रसव पीड़ा होने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत काफी नाजुक होने पर डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया। जहाँ उन्होंने नवजात को जन्म दिया। नवजात का स्वास्थ काफी खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। संवासिन की हालत खराब देख उसे पी0एम0सी0एच0 रेफर कर दिया गया। परन्तु संवासिन की मृत्यु डीएमसीएच में ही हो गई थी। यह भी कहा गया कि बालिका गृह के लापरवाही के कारण संवासिन की मृत्यु हुई। अतः जांच के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, निदेशक समाज कल्याण के प्रतिवेदन और सहायक निदेशक के द्वारा Treatment Record उपलब्ध कराने के उपरांत यह संचिका राज्य आयोग के अनुसंधान प्रभाग को संचिका में उपलब्ध कागजातों के विश्लेषण हेतु भेजी गई थी और Forensic Medicine विभाग का भी मंतव्य प्राप्त किया गया।

डॉक्टर विनय कुमार सह प्रध्यापक अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान पटना का मंतव्य प्राप्त है जिसके द्वारा उन्होंने कोविड जांच समय पर नहीं होने के कारण हुए Complications को नजर अंदाज नहीं किये जाने की बात कही है।

अनुसंधान प्रभाग का मंतव्य प्राप्त है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है। (पृष्ठ 284—286 प0) पर रक्षित है। अनुसंधान प्रभाग ने अपने मंतव्य में यह कहा है:—

"Based on the perusal of the treatment records of the inmate at Sadar hospital, DMCH and Expert medical opinion, the undersigned have observed that:

1. The statement of I/C Balika Grih is evasive on the issue of not getting the Covid test done (Technical Reasons have been cited but not explained)

ii. The records of the treatment or checkup of inmate at Sadar hospital for ANC are not readable as the photocopy is very faint.

iii. Mrs Poonam Sinha, Assistant Director Social Welfare Diretorate was called on 28-02-22 to bring legible records and also explain the reasons for not getting the Covid test done. However she could not explain the reasons and she also claimed that the original records of health screening at Balika Grih and treatment at Sadar hospital Madhubani were sent to DMCH Darbhanga along with the patient from where they were never received back.

From the perusal of the report of doctor of Obs and Gynae Deptt DMCH it it clear that the condition of the patient was very precarious as is evident from perusal of her lab reports which indicate that she was severly anemic for which one unit blood was also transfused at Sadar Hospital. When she was admitted to DMCH, her condition was very poor as the O2 saturation was quite low and the chances of her survival and having normal birth were very slim. She was also suspected to be having Covid. Besides there was no one from her family to attend to her. Under the circumstances it is very difficult to assume that had Covid test been done as advised by doctors, the outcome could have been altered as she presented with a very poor prognosis in DMCH.

It is difficult to believe that the original records of treatment of the patient at Sadar Hospital and Health Screening records were not received by Balika Grih administration from DMCH as all the records of treatment at DMCH have been made available them only."

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि मृतिका संवासिन को समय—समय पर उचित ईलाज हेतु सदर अस्पताल मधुबनी और डीएमसीएच भेजा गया है और उसे गर्भधारण से संबंधित कई समस्यायें थीं और इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई हालांकि Forensic Medicine Expert ने कोरोना जांच नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं से से इंकार नहीं किया है।

परन्तु इसके अलावा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिस से यह प्रतीत होता हो कि मुतिका संवासिन के ईलाज में कोई लापरवाही बरती गई है।

अतः इस पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। इस संचिका को बंद करने के पूर्व यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कई मामले में बालिका गृह के द्वारा संवासिनों का Initial Health Screening Record नहीं संधारित किया जा रहा है और उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा प्रस्तुत संचिका में सदर अस्पताल में Treatment का भी Record नहीं उपलब्ध कराया गया है जो दुर्भाग्य की बात है। अतः निदेशक समाज कल्याण को इस संबंध में दिशा—निर्देश जारी करने की अनुशंसा की जाती है कि किसी भी संवासिन को बालिका गृह में प्रवेश के समय उसकी Initial Health Screening test कराया जाना और इसकी कॉपी संधारित किया जाना तथा साथ ही किसी भी संवासिन से ईलाज के संबंध में Complete Treatment Record सम्बन्धित बालिका गृह में सुरक्षित कर रखा जाय। जिसे राज्य आयोग या अन्य आयोग या न्यायालयों के द्वारा मांग की जाने पर उसे उपलब्ध कराया जाय।

आदेश की प्रति मुख्य सचिव बिहार/ अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव समाज कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्ति करने के हेतु भेजने का निर्देश देते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।